

क्रि०नि०केश न०- ०१ / २० १७

5/1/2021

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि दोग बुरी है। उभय पक्ष की तार स या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग हान संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

उपस्थापित एवं संशोधित।

०५/०१/२०२१
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

गाँडा।

०५/०१/२०२१
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गाँडा।